# (TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART IV-EXTRAORDINARY)

## GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### (PLANNING DEPARTMENT)

NO.F.4 (9)/2011/PLG/DES/

Dated:

#### NOTIFICATION

-In exercise of the powers conferred under sub-rule (2) of rule 3 of the collection of statistics Rules, 2011 notified under the collection of Statistics Act 2008 (No.7 of 2009) by NO.F.4 (9)/2011/PLG/DES/ Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to designate the Director, Directorate of Economics and Statistics, Government of National Capital Territory of Delhi, as the Nodal Officer for exercising powers and performing duties under the aforesaid rules.

> By order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> > (L. Tochhong) PR. SECRETARY (PLANNING)

> > > Dated: 27/9/11

NO.F.4 (9)/2011/PLG/DES/ 10240 -10247

Copy forwarded to:

- 1. OSD to Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi
- 2. The Pr. Secretary (General Admn. Deptt.) Govt. of NCT of Delhi (in duplicate) with request that the notification may be published in the Extraordinary Delhi Gazette
- 3. All the Pr. Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi
- 4. All the Heads of Deptts., Govt. of NCT of Delhi
- 5. The Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt. of India
- 6. DG, CSO/DG, NSS office/ADG, C&PD/DDG, NSSO(FOD), Delhi Region/DDG, NSC
- 7. Guard file

PR. SECRETARY (PLANNING)

## दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार योजना विभाग

सं0 एफ 4(9)/2011/योजना/अ.स.नि./

दिनांक

## अधिसचना

सं०एफ 4(9)/2011/योजना/अ.स.नि/- सांख्यिकी संग्रहण नियम 2011 के नियम 3 के उप नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सांख्यिकी एवं कार्यकम कियान्वयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) के अन्तर्गत निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, रा० रा० क्षे० दिल्ली को उपरोक्त नियमों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए सहर्ष नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हैं ।

> आदेश एवं उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के नाम से

> > ( एल० तोछोंग ) प्रधान सचिव -योजना

सं0 एफ 4(9)/2011/योजना/अ.स.नि./10240-10247

दिनांक 77/9/11

प्रति अग्रेषित -

- 1. माननीय मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- 2. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को ( डुप्लीकेट में ) इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना को दिल्ली आसाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें।
- समस्त प्रधान सचिव / सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- समस्त विभाग प्रमुख,, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- 5. सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
- 6. डी.जी., सीं.एस..ओ./डी.जी., एन.एस.एस. आफिस/ए.डी.जी., सी. एण्ड पी.डी./डी.डी.जी., एन.एस.एस.ओ. ( एफ ओ डी ), दिल्ली क्षेत्र/डी.डी.जी., एन.एस.सी.

7. गार्ड फाइल

प्रधान सचिव -योजना